

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,

तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-83/2018

संस्थित दिनांक-01/03/2018

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,  
जिला बालाघाट म.प्र.0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

रिजवान शेख पिता रज्जाक शेख, उम्र-23 वर्ष, जाति मुसलमान,  
निवासी-वार्ड नं-05 कम्पाउण्डरटोला बैहर, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट म.प्र.

.....अभियुक्त

--: निर्णय ::--

--:दिनांक-22/03/2018 को घोषित:-

1- अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 427 एवं धारा-183 मो.व्ही.एक्ट का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.02.2018 को समय 22:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी के मकान मलाजखण्ड रोड बैहर में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी-20/सी.जी.-1489 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, फरियादी एवं भवनलाल को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उक्त वाहन से फरियादी के घर की बाउण्ड्रीवाल की दिवाल में टक्कर मारकर एवं भवनलाल की साईकिल में टक्कर मारकर उन्हें रिप्टी कारित कर, उक्त वाहन को निर्धारित गति सीमा से अत्यधिक तेज चलाया।

2- प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-427 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-183 राजीनामा योग्य नहीं होने से उक्त धाराओं में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सेवानिवृत्त चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी ने रिपोर्ट लेखाई थी कि दिनांक-26.02.2018 को 22:30 बजे, वह अपने घर पर थे। उसी समय आर्टिका वाहन क्र.-एम. पी-20/सी.जी.-1489 के चालक ने वाहन को तेज रफ्तार, लापरवाहीपूर्वक,

खतरनाक तरीके से चलाकर फरियादी के घर की बाउण्ड्रीवॉल दीवाल में टक्कर मारकर बाउण्ड्रीवॉल दीवाल को एवं बाउण्ड्रीवॉल के अंदर रखी साईकिल को तोड़ दिया था। बाउण्ड्रीवॉल एवं साईकिल टूटने से 30,000/-रूपये का नुकसान हुआ था। घटना चंदनलाल विश्वकर्मा एवं इरफान ने देखी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बैहर ने अपराध क्रमांक-20/2018 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त को निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.02.2018 को समय 22:30 बजे, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी डॉ. आर.के. चतुर्वेदी के मकान मलाजखण्ड रोड बैहर में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी-20/सी.जी.-1489 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को निर्धारित गति सीमा से अत्यधिक तेज चलाया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचाणीय बिन्दु क्रमांक-01 का निराकरण-

7- चिकित्सक आर.के.चतुर्वेदी अ.सा.01 का कहना है कि दिनांक-26.02.2018 को रात्रि 10:30 बजे, वह अपने घर पर थे। उस समय आर्टिका वाहन क्र. एम.पी-20/सी.जी.-1489 के चालक ने साक्षी के घर की बाउण्ड्रीवाल में टक्कर मार दी थी, जिससे साक्षी की कार क्रमांक-एम.पी-50/सी-4461 में

स्क्रेच आ गए थे एवं वार्ड वॉय भवनलाल धुर्वे की साईकिल टूट गई थी। वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग गया था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पुलिस थाना बैहर में की थी। पुलिस ने साक्षी की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था एवं नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-3 है। साक्षी के कथन लिये थे। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह अंदर था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि गाड़ी को कौन चला रहा था। साक्षी को यह भी जानकारी नहीं है कि गाड़ी के चालक ने गाड़ी को तेजी व लापरवाही से चलाकर साक्षी की बाउण्ड्रीवाल में टक्कर मार दी थी।

8- भवनलाल धुर्वे अ.सा.02 का कथन है कि वह शासकीय अस्पताल बैहर में वार्ड वॉय है। दिनांक-26.02.2018 को रात्रि 10:30 बजे, वह गढ़ी केम्प में था। साक्षी की एटलस साईकिल चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी के मकान की बाउण्ड्रीवाल के अंदर खड़ी थी। आर्टिगा वाहन क्रमांक-एम.पी-20/सी.जी-1489 के चालक ने चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी के घर की बाउण्ड्रीवाल को टक्कर मार दी थी। उस समय साक्षी की एटलस साईकिल टूट गई थी। नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-3 है, संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 है। पुलिस ने साक्षी के समक्ष एक आर्टिगा गाड़ी क्रमांक-एम.पी-20/सी.जी-1489, रजिस्ट्रेशन, बीमा व लायसेंस जप्त की थी। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि गाड़ी कौन चला रहा था।

9- राजकुमार कार्तिकेय अ.सा.03 का कहना है कि चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अप.क्र.-20/18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लिखाई थी। साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। साक्षी ने फरियादी की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 उसके बताए अनुसार बनाया था। अभियुक्त से आर्टिगा वाहन क्रमांक-एम.पी-20/सी.जी-1489 प्रदर्श पी-4 के जप्तीपंचनामा द्वारा जप्त किया था एवं नक्शामौका प्रदर्श पी-3 तैयार किया

था। साक्षी ने प्रकरण के फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे।

10— प्रकरण में चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.01, भवनलाल धुर्वे अ.सा. 02 ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। साक्षीगण ने अभियुक्त से राजीनामा करने के कारण इस विचारणीय बिन्दु की घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में राजीनामा होने के कारण अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई है। अभियोजन पक्ष प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी चिकित्सक आर.के. चतुर्वेदी के मकान मलाजखण्ड रोड बैहर में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी-20/सी. जी.-1489 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था।

#### विचाणीय बिन्दु क्रमांक-02 का निराकरण

11— राजकुमार कार्तिकेय अ.सा.03 का कथन है कि उन्होंने वाहन स्वामी के भाई राजकुमार को प्रदर्श पी-5 का नोटिस दिया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के एवं बी से बी भाग पर राजकुमार के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया था। उक्त साक्षी ने उसकी साक्ष्य में केवल प्रदर्श पी-5 के नोटिस के बारे में बताया है, इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने इस विचारणीय बिन्दु की घटना के बारे में कोई कथन नहीं किये हैं एवं चिकित्सक आर.के.चतुर्वेदी अ.सा.01, भवनलाल धुर्वे अ.सा.02 ने भी उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त घटना कारित करने वाले वाहन को निर्धारित गति सीमा से अत्यधिक तेज चला रहा था। इस कारण चिकित्सक आर.के.चतुर्वेदी अ.सा.01, भवनलाल धुर्वे अ.सा.02 एवं राजकुमार कार्तिकेय अ.सा.03 की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को निर्धारित गति सीमा से अत्यधिक तेज चलाया था।

12— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का आरोप एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-183 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर व्हीकल की धारा-183 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

14— अभियुक्त का मुचलका भारमुक्त किया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व

दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट